

अनुच्छेद 142

प्रलिस के लयल:

अनुच्छेद 142, सर्वोच्च न्यायालय, उपभोक्ता संरक्षण नयल, 2020, 'शक्तलके के पृथक्करण' का सलदललत ।

मेन्स के लयल:

अनुच्छेद 142 ।

चरुा में कुकेल?

हलल ही में [सर्वोच्च न्यायालय](#) ने [अनुच्छेद 142](#) के तहत फैसला सुनाया कल 10 वर्ष के अनुभव वाले वकील और पेशेवर राज्य उपभोक्ता आयोग एवं जलला मंके के अधुयकुष तथा सदसुके के रूप में नयुकुतल के पातुर हलंगे ।

- सर्वोच्च न्यायालय ने [उपभोक्ता संरक्षण अधनलयल, 2019](#) की धारा 101 के तहत [उपभोक्ता संरक्षण नयल, 2020](#) के परावधानल के रदद करने के बलम्बे हाईकुर्ट के फैसले को बरकरार रखा, जसलमें राज्य उपभोक्ता आयोगल एवं जलला मंके के सदसुके हेतु कुरमश: 20 वर्ष और 15 वर्ष का नयूनतम पेशेवर अनुभव नरुधरलत कलया गया है ।

न्यायालय का फैसला:

- केंदुर सरकार और संबंधतल राज्य सरकारल को उपभोक्ता संरक्षण (नयुकुतल हेतु युगुयता, भरुती की वधल, नयुकुतल की परकुरुयल, पद की अवधल, राज्य आयोग और जलला आयोग के अधुयकुष एवं सदसुके का इस्तीफा तथा हटाने) नयल, 2020 में संशुधन करना होगा तलक राज्य आयोग और जलला मंके के अधुयकुष एवं सदसुके के रूप में नयुकुतल के लयलकुुरमश: 20 वर्ष और 15 वर्ष के बजाय 10 वर्ष के अनुभव का परावधान कलया जा सके ।
- उपरुयुकुत संशुधन कलये जाने तक सुनातक की डगलरी वाले वकील और पेशेवर जनलके पास उपभोक्ता मामलल, कानून, सारुवजनकल मामलल, परशासन, अरुथशासुतर, वाणजुय, उदुयुग, वतुतल, परबंधन, इंजीनयलरगल, परुदुयुगकल, सारुवजनकल सुवासुथुय या चकलतलसा में 10 वर्षल का अनुभव है, राज्य उपभोक्ता आयोग और जलला मंके के अधुयकुष एवं सदसुके के रूप में नयुकुतल के पातुर हलंगे ।
- न्यायालय ने उममीदवारल की पातुरता की जाँच करने के लयल लखलतल परलकुषा और मौखकल परलकुषा (Viva Voce) का सुझाव भी दलया ।

अनुच्छेद 142 कुकेल है?

परचलय:

- अनुच्छेद 142 सर्वोच्च न्यायालय को ववलकाधीन शकुतल परदान करता है कुकेलकल इसमें कहा गया है कल सर्वोच्च न्यायालय अपने अधकलर कुषेतर का परुयुग करते हुए ऐसी डकलरी पारतल कर सकता है या ऐसा आदेश दे सकता है जो उसके समकुष लंबतल कलसी भी मामले या मामलल में पूरण नुयल सुनशलचतल करने के लयल आवशुयक हो ।

रचनातुमक अनुपरुयुग:

- अनुच्छेद 142 के वकलस के शुरुआती वर्षल में आम जनता और वकीलल दोनल ने समाज के वभलनलन वंचतल वरुगल को पूरण नुयल दललाने या परुयलवरण की रकुषा करने के परुयलसल के लयल सर्वोच्च न्यायालय की सराहना की ।
- ताजमहल की सफाई और अनेक वचलरलधीन कैदयलल को नुयल दललाने में इस अनुच्छेद का महतुतुवपूरण युगदान है ।

नुयलकु अतरक के मामले: Cases of Judicial Overreach:

- हलल के वर्षल में सर्वोच्च न्यायालय के कई नरुणय हुए हैं जनलमें यह उन कुषेतरल में परुवेश कर रहा है जो लंबे समय से नुयलयपालकल के लयल ['शकुतलके के पृथक्करण' के सलदललत](#) के कारण वरुजतल थे, जो कल ['संवधलन का मुल संरचना'](#) का हसुसा है । ऐसा ही एक उदलहरण

है:

- **राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों के कनारे शराब बिक्री पर प्रतिबंध:** केंद्र सरकार की अधिसूचना में राष्ट्रीय राजमार्गों के कनारे शराब की दुकान खोलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, जबकि सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 142 को लागू करते हुए इस प्रतिबंध को 500 मीटर की दूरी तक सीमित दिया है।
- इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी राज्य सरकार की इस तरह की अधिसूचना के अभाव में न्यायालय ने प्रतिबंध को राज्य राजमार्गों तक बढ़ा दिया।
- **अनुच्छेद 142** को लागू करने के इस तरह के फैसलों ने न्यायालयों में नहिति वविकाधकार की शक्ति को लेकर अनश्चितता पैदा कर दी है, जहाँ व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों की अनदेखी की जा रही है।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न:

प्रश्न. भारत के संवधान के संदर्भ में सामान्य वधियों में अंतरवषिट प्रतषिध अथवा नबिंधन अथवा उपबंध, अनुच्छेद 142 के अधीन सांवधानिके शक्तियों पर प्रतषिध अथवा नरिबंधन की तरह कार्य नहीं कर सकते। नमिनलखिति में से कौन-सा एक इसका अर्थ हो सकता है? (2019)

- (a) भारत के नरिवाचन आयोग द्वारा अपने कर्तव्यों का नरिवहन करते समय लयि गए नरिण्यों को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती।
- (b) भारत का उच्चतम न्यायालय अपनी शक्तियों के प्रयोग में संसद द्वारा नरिमति वधियों से बाध्य नहीं होता।
- (c) देश में गंभीर वत्तीय संकट की स्थिति में भारत का राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के परामर्श के बनिा वत्तीय आपात घोषति कर सकता है।
- (d) कुछ मामलों में राज्य वधानमंडल, संघ वधानमंडल की सहमति के बनिा वधि नरिमति नहीं कर सकते।

उत्तर: (b)

स्रोत: बज़िनेस स्टैण्डर्ड

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/article-142-3>

